तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना–पत्र संख्या 56 / 2021 बअनवान रामसिंह वगै. बनाम गोविन्द वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री पवन सिहल एवं रेस्पोडेंटस अधिवक्ता श्री सुरेश पूनड़ उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण भी मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। दावे के विचारण में रहते अपीलांटगण को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट / विप्रार्थीगण ने खसरा संख्या 3508 / 1047 की नेखबंदी का आवेदन श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश किया एवं उक्त आवेदन पर श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर द्वारा सीमाज्ञान का आदेश दिनांक 22.09.2021 को पारित किया एवं उक्त सीमाज्ञान आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 10.12.2021 को खसरा संख्या 35.08 / 1047 का सीमाज्ञान कर मौका फर्द तैयार की गई एवं उक्त मौका फर्द अनुसार दौराने पैमाईश पाड़ौसी खसरान के खातेदारों के मध्य विवाद व अशांति उत्पन्न होने से पैमाईश को बंद किया गया। इस प्रकार उक्त सीमाज्ञान के विवाद का निपटारा खेत की पक्की नेखमबंदी के द्वारा ही संभव है ऐसी स्थिति में उक्त खसरान के संबंध में जारी एकतरफा स्थगन आदेश निरस्त कर नेखमबंदी की अनुमति प्रदान की जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है तो अपीलांटगण के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2021 को तावाद फैसला कन्फर्म किया जाता है। उभयपक्षकारान अपने–अपने खातेदारी खेत की नेखमबंदी / सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अधिकतम तीन माह में मूल वाद का निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।	

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर